बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक **24 फरवरी, 2017**

संख्या–2/आ०70–03/2017 गृ0आ0 **1657**/श्री मो० अली अंसारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर, दिनांक–14.01.2017 को सोनपुर, सबलपुर दियारा में आयोजित पतंग उत्सव के पश्चात सबलपुर दियारा से गाँधीघाट, पटना यात्रियों को लेकर आ रही नांव के दुर्धटनाग्रस्त होने की घटना से संबंधित उच्च स्तरीय द्विसदस्यीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर इस नांव दुर्धटना में गंभीर प्रशासनिक चूक और पतंग उत्सव की तैयारी एवं भीड़ नियंत्रण तथा विधि व्यवस्था पर बिलकुल ध्यान नहीं दिये जाने के प्रथम दृष्टया दोषी हैं, जिसके लिए श्री मो० अली अंसारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनुपर को बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम (9)(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन की अवधि में श्री मो० अली अंसारी का मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना के कार्यालय में रहेगा।

3. निलंबन के अवधि में श्री अंसारी को बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. निलंबन के अवधि में श्री अंसारी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

5. श्री अंसारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(देव नारायण मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापाक– 2/पी01–20–01/2016 गृ0आ0 **1657** पटना, दिनांक **24 फरवरी, 2017**

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापाक– 2/पी01–20–01/2016 गृ0आ0 **1657** पटना, दिनांक **24 फरवरी, 2017**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा/जिला पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा/श्री मो० अली अंसारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर एंव आई०टी प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना से अनुरोध है कि इस अधिसूचना की प्रति संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने स्तर से तुरंत तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव